

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी० शामली स्थित कैराना।

उपस्थित- सुधा शर्मा ----- (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
आपराधिक वाद सं०-401/9/2014

श्रीमती सायरा पल्लि हसीन पुत्री हकीम मौ० युनुस निवासी नई बस्ती बाईपास कैराना निकट चार खम्बे कस्बा व थाना कांधला जिला शामली-----वादी पक्ष।

बनाम

- (1) हसीन पुत्र शफीक
- (2) शफीक पुत्र अज्ञात
- (3) श्रीमती कलसूम पल्लि शफीक
- (4) शौकीन उर्फ मोगली
- (5) वसीम उर्फ काला पुत्र शफीक
- (6) प्रवेज पुत्र शफीक
- (7) मनव्वर पुत्र शफीक
- (8) श्रीमती शाहिदा पल्लि शौकीन
- (9) श्रीमती साहिबा पल्ली वसीम

समस्त निवासीण मौ० शेखजादगान निकट दफ्तर नगरपालिका, कस्बा व थाना कांधला जिला शामली-----अभियुक्तगण।

अंतर्गत धारा-498A भा.द.सं.
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०
थाना- कांधला, जिला-शामली।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादिया श्रीमती सायरा के द्वारा अभियुक्तगण हसीन, शफीक, कलसूम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मनव्वर, शाहिदा व साहिबा के विरुद्ध न्यायालय में योजित किया गया जो परिवाद के रूप में दर्ज हुआ था तथा धारा 498A भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०, थाना-कांधला, जिला -शामली के अपराध परीक्षण हेतु न्यायालय में दिनांक 09.01.2013 को तलब किया गया था।

परिवादिया के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. के अनुसार कथन है कि प्रार्थिया की शादी हस्ब रिवाज बिरादरी व शरई मौहम्मदी दिनांक 14.11.2011 को हसीन पुत्र शफीक निवासी कस्बा कांधला के साथ हुई थी। शादी में प्रार्थिया को उसके बाप व रिश्तेदारों ने काफी कीमती सामान, जेवरात बर्तन, कपड़े आदि व लगभग दस लाख रूपये दिये थे, जिसे उसी समय हसीन व उसके घरवालों विपक्षीण सं०-1 ता९ को सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थिया के ससुराल वालों को उपरोक्त दिया गया सामान पसंद नहीं आया और उन्होंने कम दहेज लाने के लिए प्रार्थिया को ताने देने शुरू कर दिये। प्रार्थिया से अतिरिक्त दहेज में अभियुक्तगण ने मोटर कार व एक लाख नकद रूपये लाने की चाहत की थी। प्रार्थिया को उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए तंग व परेशान करते थे। उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट करते थे। प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देने लगे तथा उन्होंने घर में सांप रखा हुआ था जिससे प्रार्थिया के ऊपर बार-बार हमला करने की कोशिश करते थे और कहा कि अगर और दहेज की मांग पूरी नहीं की तो प्रार्थिया को सांप से डसवाकर मार देंगे। वाक्या दिनांक 22.05.2012 को समय करीब 11.00 बजे का है हसीन व अन्य अभियुक्तगण ने एकराय होकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रार्थिया के साथ मारपीट की एवं उसके ऊपर सांप डालकर डसवाने की कोशिश की। शोर मचाने पर कस्बा कांधला के वकील, साबिर, नसीम, आदि मौके पर आ गए, जिन्होंने प्रार्थिया की जान बचाई। प्रार्थिया को खाली हाथ धक्के देकर घर से निकाल दिया और धमकी दी कि अपने बाप के घर से मोटर कार व एक लाख रूपये नकद लेकर आना वरना तुझे घर में घुसने नहीं देंगे और तुझे मिट्टी का तेल डालकर या बिजली का करंट लगवाकर अथवा जहरीले सांप से कटवाकर मार देंगे तथा हसीन की दूसरी शादी करेंगे जहां से अधिक दहेज व मोटरकार मिलेगी। प्रार्थिया का स्त्रीधन भी जबरदस्ती उसके ससुरालवालों ने अपने कब्जे में कर रखा है तथा मांगने पर वापस करने से साफ इंकार कर रहे हैं। विपक्षीण बहुत सरकश, मुठमर्द, झगड़ालू व दहेज के लालची आदमी हैं। प्रार्थिया मजबूरन अपने बाप के घर पर रह रही हैं। मुल्जिमान ने यह भी धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी तो उसके तमाम मायके वालों को गोलियों से भून देंगे। प्रार्थिया मुल्जिमान के डर से कांधला थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकी। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.05.2012 को श्रीमान वरिष्ठ

Self attested
01/11/2014

पुलिस अधीक्षक, श्रीमान जिलाधिकारी प्रबुद्धनगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैराना व श्रीमान थानाध्यक्ष को डाक द्वारा भेजा पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना है कि मुल्जिमान को तलब फरमाकर दण्डित किया जाये।

परिवादिया का अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज होने के उपरांत परिवादिया का बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में अंकित किया गया तथा धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत सी०डब्लू० 1. सईद, सी०डब्लू० 2. मौहम्मद जाकिर के बयान अंकित किए गये। न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2012 को अभियुक्तगण हसीन, शफीक, कलसुम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मनवर, शाहिदा, व साहिबा को धारा 498A भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधितो, में कारित अपराध के लिए बतौर अभियुक्तगण जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्तगण हसीन, शफीक, कलसुम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मनवर, शाहिदा, व साहिबा न्यायालय में उपस्थित आए और उन्होंने अपनी जमानत करवायी।

अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर परिवादिया की ओर से धारा 244 द.प्र.सं. के अंतर्गत स्वयं पी०डब्लू० 1. को परीक्षित कराया गया एवं बतौर पी०डब्लू० 2. मौहम्मद जाकिर को परीक्षित कराया गया। दिनांक 03.12.2019 को अभियुक्त शफीक की मृत्यु आख्या प्राप्त हुयी। शफीक के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

तदोपरांत अभियुक्तगण हसीन, कलसुम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मनवर, शाहिदा, व साहिबा को धारा 498A भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधितो के आरोप से दिनांक 11.12.2019 को आरोपित किया गया। अभियुक्तगणों ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

परिवादिया की ओर से जिरह हेतु धारा 246 द.प्र.सं. के अंतर्गत परिवादिया सायरा को बतौर साक्षी पी०डब्लू० 1. को परीक्षित कराया गया। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। परिवादिया का साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किए गये। धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गये बयान में अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा गवाही के बारे में कुछ नहीं का कथन किया एवं और कुछ कहने व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

उक्त अभियोग को साबित करने का भार परिवादिया पर था। परिवादिया द्वारा उक्त अभियोग को साबित करने हेतु दो साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया है, जिसने अपने साक्ष्य में निम्न प्रकार से कथन किये हैं।

गवाह पी०डब्लू० 1. श्रीमती सायरा ने अपने धारा 244 द.प्र.सं. के बयान में कथन किया है कि मेरी शादी 14.11.2011 में हुई थी। शादी में मेरे बाप व रिश्तेदारों ने काफी गिफ्ट व सामान दिया था लेकिन हसीन व उसके घरवालों ने मुझे कम दहेज के ताने देकर तंग व परेशान करते थे। दहेज में एक लाख रुपये और कार की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 22.05.2012 को करीब 11.00 बजे दिन के मुल्जिमानों ने मुझे मारपीट करते घर से खाली हाथ निकाल दिया था और मुझे सांप से डसवाने की कोशिश की थी। दहेज की मांग पूरी ने होने पर जान से मारने की धमकी दी। शोर-गुल सुनकर वकील, सईद आदि मौहल्ले के काफी लोग आ गये थे, जिन्होंने मेरी जान बचाई। घटना की रिपोर्ट मुल्जिमान के डर की वजह से थाने में नहीं करायी। एस०पी० साहब शामली को मैंने घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल पत्रावली पर है।

गवाह पी०डब्लू० 2. मौहम्मद जाकिर ने अपने धारा 244 द.प्र.सं. के बयान में कथन किया गया है कि परिवादिया सायरा की शादी में शामिल हुआ था। सायरा की शादी हसीन के साथ करीब एक साल पहले कस्बा कांधला में हुई थी। शादी में सायरा के मां-बाप ने कीमती सामान जेवरात, बर्तन आदि सामान दिया था। हसीन व उसके घर वाले शफीक, कलसुम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मुनवर, शाहिदा व साहिबा ने सायरा को कम दहेज के ताने देकर दहेज में एक मोटरकार व एक लाख रुपयों की मांग की व उन लोगों ने परिवादिया शायरा को तंग व परेशान करना शुरू कर दिया था। करीब सवा साल पहले दिन के करीब समय 11.00 बजे मुल्जिमान उपरोक्त ने सायरा को लात-घूसों से मारपीट की। शोरगुल होने पर मैं व मेरे अलावा कस्बे के वकील, शहीद और बहुत से आदमी आ गये। हमने मुल्जिमान से सायरा की जान बचाई। हसीन व उसके घर वालों ने सायरा को मोटरकार व एक लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर सांप से डसवाने व जान से मारने की धमकी दी।

इस प्रकार पी०डब्लू० 1. द्वारा अपने 156(3) द.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र एवं बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. के कथनों का समर्थन अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द.प्र.सं. में किया गया एवं पी०डब्लू० 2. द्वारा अपने 156(3) द.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र एवं बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. के कथनों का समर्थन अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द.प्र.सं. में किया गया।

तत्पश्चात गवाह पी०डब्लू० 1. श्रीमती सायरा ने अपने धारा 246 द.प्र.सं. के बयान में अंकित किया है कि मेरा ससुराल वालों के साथ मनमुटाव हो गया था। जिस कारण मैंने उपरोक्त मुकदमा लोगों व रिश्तेदारों के कहने के अनुसार किया था। यह सच है कि मेरा अब ससुराल वालों से फैसला भी हो गया है। फैसला मेरी मर्जी से हुआ है बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से किया है। रिश्तेदारों द्वारा व मौजिज लोगों द्वारा मेरा लेन-देन भी फैसले के द्वारा

5/28-atture
01/11/21

हो गया है, जो मुझे मिल चुका है। उपरोक्त अभियुक्तगण ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही मुझसे अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व मोटरकार की मांग की थी। ये सब विपक्षीगण मुझे लाड़-प्यार व खुश रखते थे और न ही अन्य दहेज की मांग करते थे। मेरे प्रति पूर्ण हवेजोजियत अदा करते थे। दिनांक 22.05.2012 को करीब 11.00 बजे उपरोक्त विपक्षीगण ने कोई मारपीट व दहेज की मांग नहीं की थी। मैं उपरोक्त मुकदमे में कोई अन्य बयान नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाए। उपरोक्त मुकदमे में कोई अन्य गवाह गवाही नहीं देना चाहता।

पी०डब्लू० 1. द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द.प्र.सं. के कथनों का समर्थन अपने बयान अंतर्गत धारा 246 द.प्र.सं. में नहीं किया गया है तथा विरोधाभासी कथन किये गये हैं। अन्य गवाहों के साक्ष्य अवसर समाप्त करने का कथन भी किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हसीन, कलसूम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मुनव्वर, शाहिदा व साहिबा के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498A भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिन०, को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए आरोपित उक्त अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण हसीन, कलसूम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मुनव्वर, शाहिदा व साहिबा को आपराधिक परिवाद सं०-401/9/2014, जुर्म अंतर्गत धारा 498A भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिन०, के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण हसीन, कलसूम, शौकीन, वसीम, प्रवेज, मुनव्वर, शाहिदा व साहिबा जमानत पर हैं तथा उनके द्वारा दाखिल धारा 437A द.प्र.सं. हेतु प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पूर्ण जमानते धारा 437A द.प्र.सं. के अनुपालन में निर्णय के छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। प्रतिवादीगण प्रत्येक के द्वारा द.प्र.सं. की धारा 437A के अंतर्गत दाखिल जमानत व बंधपत्र को छोड़कर उनके शेष जमानत व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक-16.03.2021

सुधा शर्मा
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०
शामली स्थित कैराना।
जे०ओ०कोड-UP 03263

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-16.03.2021

सुधा शर्मा
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०
शामली स्थित कैराना।
जे०ओ०कोड-UP 03263

self attested
82/11/12